उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्याः 1571 / VII-1 / 2016 / 158–ख / 2004
देहरादून : दिनांकः 30 सितम्बर, 2016

अधिसूचना

शासन की अधिसूचना संख्या–1266 / VII-1 / 2014 / 158–ख / 2004 दिनांक 1 सितम्बर, 2014, अधिसूचना संख्या–1031 / VII-1 / 2015 / 158–ख / 2004 दिनांक 31 जुलाई, 2015, अधिसूचना संख्या– 1590 / VII-1 / 2015 / 158–ख / 2004 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015, अधिसूचना संख्या–1592 / VII-1 / 2015 / 158–ख / 2004 दिनांक 7 अक्टूबर, 2015, अधिसूचना संख्या–96 / VII-1 / 2016 / 158–ख / 2004 दिनांक 22 जनवरी, 2016, अधिसूचना संख्या– 390 / VII-1 / 2016 / 158–ख / 2004 दिनांक 4 मार्च, 2016 एवं अधिसूचना संख्या– 851 / VII-1 / 2016 / 158–ख / 2004 दिनांक 19 मई, 2016 द्वारा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करते हुए उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2015, यथासंशोधित, 2016 प्रख्यापित की गई। राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या–67, 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (मूल नियमावली) में निम्नानुसार अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

नियम–11 का संशोधन :

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (मूल नियमावली) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान "खनिजों के भण्डारण और परिवहन पर निर्बन्धन" संबंधी नियम–11 के उपनियम (घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात;

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–11. कोई व्यक्ति– (घ) खनिजों का परिवहन इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–''जे'' में अभिवहन पास जारी किये बिना, भण्डारण परिसर से किसी अन्य स्थान को नहीं करेगा।	नियम–11 कोई व्यक्ति– (घ) भण्डारणकर्ता / स्टोन क्रेशर स्वामी / स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा राज्य के सीमान्तर्गत खनिजों का परिवहन इस नियमावली से संलग्न ऑनलाईन ई–फॉर्म ''जे'' अथवा मैनुअल प्रपत्र ''जे'' में तथा राज्य की सीमा से बाहर परिवहन किये जाने हेतु ऑनलाईन ई–फॉर्म ''जे'' (ओ / एस) में अथवा मैनुअल प्रपत्र ''जे'' (ओ / एस) में घोषणा किये बिना भण्डारण परिसर से किसी अन्य स्थान को नहीं करेगा। राज्य की सीमा से बाहर परिवहन किये जाने हेतु ऑनलाईन ई– फॉर्म ''जे'' (ओ / एस) अथवा मैनुअल प्रपत्र ''जे'' (ओ / एस) जारी करेगा। राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई–फॉर्म ''जे'' अथवा ई–फॉर्म ''जे'' (ओ / एस) तथा आकस्मिक

परिस्थिति हेतु मैनुअल ''जे'' प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

परन्तु; निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड को विशिष्ट परिस्थितियों में ई–फॉर्म ''जे'' अथवा ई–फॉर्म ''जे'' (ओ/एस) के ऑनलाइन जनरेशन (Online generation) के उपयोग हेतु छूट प्रदान करने का अधिकार होगा। इस अवधि के जारी किये गये मैनुअल प्रपत्र –''जे'' एवं प्रपत्र–''जे'' (ओ0/एस0) की समग्र सूचना को सर्वर में ऑफ लाइन दिये गये फार्म में भरने के उपरान्त अपलोड किये जाने की सुविधा दी जायेगी। ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों हेतु, जिनमें ऑनलाइन ई–ट्रांजिट पास (ई–फॉर्म ''जे'' अथवा ई–फॉर्म ''जे'' (ओ/एस)) के उपयोग को छूट प्रदान किया जाय, खनिजों के परिवहन हेतु मैनुअल ट्रांजिट पास (प्रपत्र ''जे'' अथवा प्रपत्र ''जे'' (ओ/एस)) का उपयोग का प्रावधान प्रभावी रहेगा।

नियम–11 में अतिरिक्त प्रावधान :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (मूल नियमावली) में वर्तमान नियम–11 के उपनियम–(घ) के उपरान्त नियम–11 में उपनियम–(ड़) का अतिरिक्त प्रावधान जोड़ दिया जायेगा अर्थात;

नियम–11 (ड़) शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ई–रवन्ना लेने से पूर्व स्टोन क्रेशर स्वामी/पल्वराईजर प्लान्ट धारक/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी तथा भण्डारण अनुज्ञाधारक को अवशेष भण्डारित खनिज की मात्रा को घोषित करेगां।

स्टोन क्रेशर स्वामी/पल्वराईजर प्लान्ट धारक/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी तथा भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा मौके पर भण्डारित खनिज की मात्रा से अधिक मात्रा का ई–रवन्ना जनित (Generate) नहीं करेगा।

आज्ञा से,

(शैलेश बगौली)
सचिव

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
E- Form "J"

Tin No.:
Lease No.

e- Form – "J" No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax....................................... Tax (Vat or CST).................
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Auto generated)

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
E- Form "J" (O/S)

Tin No.:
Lease No.

e- Form – "J O/S" No.
Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax....................................... Tax (Vat or CST).................
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Auto generated)

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
Form "J"

Tin No.: Form – "J" No.
Lease No. Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1. Type of Movement:
2. Type of Vehicle
3. Registration No. of Vehicle
4. Name of Driver
5. Mobile No. of Driver.
6. Name of Mineral
7. Weight of Mineral (In Tons)
8. Sale value/Approximate value (Before Tax)
9. Rate of Tax.. Tax (Vat or CST)..................
10. Name of Purchaser
11. Tin No. of Purchaser
12. Address of Destination
13. Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Signature of Issuing Officer Signature of Lessee

Geology & Mining Unit
(Directorate of Industries Uttarakhand)
Form "J" (O/S)

Tin No.: Form – "J O/S" No.
Lease No. Date and Time:

Owner Name:
Lease Address:

1- Type of Movement:
2- Type of Vehicle
3- Registration No. of Vehicle
4- Name of Driver
5- Mobile No. of Driver.
6- Name of Mineral
7- Weight of Mineral (In Tons)
8- Sale value/Approximate value (Before Tax)
9- Rate of Tax.. Tax (Vat or CST)..................
10- Name of Purchaser
11- Tin No. of Purchaser
12- Address of Destination
13- Destination District

This form is valid up to : Date & Time (Manual)

Signature of Issuing Officer Signature of Lessee